IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में महिला समानता का संघर्ष: सामाजिक प्रगतिशीलता में बाधा

[1]रीना

[1]रिसर्च स्कॉलर, मानविकी और सामाजिक विज्ञान संकाय, समाजशास्त्र विभाग आईईसी विश्वविद्यालय, बद्दी सोलन हिमाचल प्रदेश.

सारांश: हमारे भारत देश में प्राचीन समय से ही नारियों का एक विशेष स्थान रहा है। आर्य लोग नारियों का विशेष सम्मान करते थे। वे नारी जाति को ही अपना घर मानते थे। नारी के बिना घर का कोई अस्तित्व न था, नारी को देवी तुल्य माना जाता था। उनके बिना कोई भी यज्ञ, हवन, पूजा–पाठ सम्पूर्ण नहीं माना जाता था उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती थी। किसी भी मानव समाज में नारी की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती थी, और कोई भी जाति वर्ग इसे नजरअन्दाज नहीं कर सकता था। पति–पत्नी के बिना कोई धार्मिक संस्कार नहीं कर सकता था। हमारे देश में नारियों की स्थिति सदैव उच्च तथा पूजनीय रही है। उनको श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता रहा है।

1. प्रस्तावना-

''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता''

अर्थात् जिस घर में नारियों की पूजा होती हैं उस घर में देवता वास करते हैं।

''यद् गृहे रमते नारी लक्ष्मीस्तद गृहवासिनी।

देवताः कोटीशौवत्स न वयजन्ति गृहं हितत्।।''

अर्थात् जिस घर में सद्गुण सम्पन्न नारी सुखपूर्वक निवास करती है। करोड़ो देव उस घर को नहीं छोड़ते हैं।

वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति

वैदिक युग में स्त्रियों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। स्त्रियों को विभिन्न क्षेत्रों में जैसे राजनीतिक, पारिवारिक, धार्मिक, शैक्षिक आदि में अधिकार मिले हुए थे। स्त्रियों को परिवार में विशेष स्थान प्राप्त था। स्त्रियाँ गृहस्वामिनी कहलाती थी। गृपति अपनी गृहस्वामिनी के साथ मिलकर गृह कार्यो को सम्पन्न करता था। इस प्रकार स्त्री पति की सहचरी होती थी। अर्थात् वेद में लिखा है कि–''हे नवीन वधु! तुम जिस घर में प्रवेश कर रही हो तुम वहाँ की साम्राज्ञी हो। यह राज्य तेरा हैं तुम्हारे सास–ससुर, ननद–देवर तुम्हें साम्राज्ञी मानते हुए तेरे राज्य में आनन्द प्राप्त करते रहे।'' इससे स्पष्ट होात है कि स्त्रियों का परिवार में प्रमुख स्थान था।

वैदिक युग में स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी। स्त्रियाँ स्वतंत्रता पूर्वक अपने पति को चुनती थी। इस प्रथा के अनुसार वैदिक युग में स्त्रियाँ दो प्रकार की होती थी एक तो ब्रह्मवादिनी और दूसरी तुरन्त विवाह कर लेने वाली। जो ब्रह्मवादिनी होती थी। वे यज्ञ करती थी और वेदों का अध्ययन करती थी और वैदिक मंत्रों की रचना भी। स्त्रियों की शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था थी। स्त्रियाँ ऋषि कुलों में पुरूषों के साथ शिक्षा ग्रहण करती थी। वे यहाँ पर वेदों का अध्ययन करती थी और युद्ध कला की शिक्षा की प्राप्त करती थी। कुछ स्त्रियों ने तो अपना सम्पूर्ण जीवन आध्यात्म विद्या के अध्ययन में दयतीत कर दिया। स्त्रियाँ विभिन्न अवसरों पर प्रवचन देती थी। वे शास्त्रार्थ में भाग लेती थी। इसका एक उदाहरण मण्डल मिश्र की स्त्री भारती का शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ करना है। विदुषी गार्गी मैत्री, जैसी विद्वान स्त्रियाँ इसी युग की देन है। घोषा नामक स्त्री ने मंत्रों की रचना तक की थी। स्त्रियाँ संगीत तथा नृत्यकला में विशेष निपुण हुआ करती थी।

मध्यकालीन युग में स्त्रियों की स्थिति

मध्यकालीन युग में स्त्रियों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस युग में भारत पर मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया। मुसलमानों ने अनेक हिन्दु स्त्रियों से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इसके परिणामस्वरूप हिन्दुओं ने अपनी लड़कियों का कम आयु में ही विवाह करना प्रारम्भ कर दिया। उन्हें यह भय लगने लगा कि कहीं मुस्लिम शासक जबरदस्ती उनकी कन्याओं से विवाह न कर लें। अतः स्त्रियों पर अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये गये। उनके बाहर आने–जाने पर भी रोक लगा दी गई। अब उन्हें घर के अन्दर ही रहना पड़ता था। इस प्रकार पर्दा–प्रथा तथा बाल विवाह का प्रचलन प्रारम्भ हुआ। इन दोनों ही प्रथाओं के अनेक दुष्परिणाम हुए। इसके फलस्वरूप स्त्रियों की समाज में स्थिति पहले से भी खराब होती चली गई। अब स्त्रियाँ शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित हो गयी। इस युग में पुरूष अनेक पत्नियाँ रखने लगे। बहुपत्नि विवाह के कारण स्त्रियों की स्थिति दिन–प्रतिदिन गिरती चली गई। इस युग में सती प्रथा का भी प्रचलन आरम्भ हो गया। अब विधवाएँ पुनर्विवाह नहीं कर सकती थीं। कन्या का जन्म ही अशुभ माना जाने लगा। राजपूत लोग कन्या को जन्म लेते ही मार डालते थे।

अंग्रेजी शासनकाल में स्त्रियों की स्त्रियों

18वीं शताब्दी के अन्त से लेकर भारत के स्वतन्त्र होने के पूर्व तक का समय, अंग्रेजी शासनकाल कहा जाता हैं। इस युग में स्त्रियों की स्थिति खराब होती चली गई। इस युग तक अनेक कुप्रथाएँ जैसे–बाल–विवाह, पर्दा–प्रथा, दहेज–प्रथा तथा सती–प्रथा आदि का प्रचलन हो गया था। इन कुप्रथाओं का स्त्रियों की स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ा। इन प्रथाओं के कारण स्त्रियों की स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो गयी। वे सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित हो गई। अतः स्त्रियों को घर से बाहर शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने से रोक दिया गया। इन अशिक्षित स्त्रियों का अब एक ही कर्त्तव्य रह गया था। वह कर्त्तव्य घर की चारदीवारी में रहकर संतान उत्पन्न करना, उनका पालन–पोषण करना, तथा पति की सेवा करना मात्र था। परिवार में उनका स्थान **'दासी'** का हो गया।

स्त्रियों की हीन दशा के कारण

संयुक्त परिवार की रूढ़िवादी प्रकृति ने स्त्रियों की स्थिति को हीन बना दिया था। परम्परागत रूप से स्त्रियों को परिवार के सभी सदस्यों की सेवा–देखभाल करनी हैं। उन्हें घर के बाहर जाने की अनुमति नहीं होती, उनके शिक्षित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। माता–पिता कन्यादान कर मुक्त होना चाहते हैं। अतः वे अपनी कन्या का रजोदर्शन से पूर्व ही विवाह कर देते थे। इस प्रकार बाल–विवाह को प्रोत्साहन मिला। संयुक्त परिवार में स्त्रियों का सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था। स्त्रियों में शिक्षा का अभाव था। अशिक्षित स्त्रियों को मानसिक विकास नहीं हो पाता था। वे चूल्हे–चौके के बाद दूर के वस्तुओं से कोई सम्बन्ध में नहीं आती हैं। पुरूष उनको पाशविक सम्पत्ति

समझकर अत्याचार करते हैं हिन्दू समाज में विधवा स्त्रियों के पुनर्विवाह पर रोक लगाया हुआ हैं विधवा स्त्रियाँ अनेक निर्योग्यताओं की शिकार हैं। परिवार में विधवा स्त्री के साथ अमानुषिक व्यवहार किया जाता है। समाज उसे अपमान की नजर से देखता है।

प्राणी–शास्त्रीय सम्बन्धों के आधार पर बने हुए समूहों में परिवार सबसे छोटी इकाई हैं। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है या हैं। समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह हैं। संस्कृति के सभी स्तरों में चाहे उन्हें उन्नत कहा जाए या निम्न किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संगठन अनिवार्य पाया जाता है। शारीरिक आवश्यकताओं एवं कामवासना की पूर्ति ने ही परिवार को जन्म दिया हैं। परिवार ही नवजात शिशुओं एवं गर्भवती माताओं की देखभाल करता है। परिवार एक ऐसी सामाजिक इकाई है जिसमें कुछ मनुष्य मिलकर रहते हैं वे परिवार का मुख्य आधार विवाहित स्त्री–पुरूष का सम्बन्ध होता हैं। इस प्रकार परिवार में पति–पत्नी और उनकी संतान प्रमुखतः होती हैं।

मैकाइवर पेज के अनुसार

''परिवार एक ऐसा समूह हैं जो निश्चित यौन सम्बन्धों पर आधारित है और इतना छोटा व शक्तिशाली है कि संतान के जन्म और पालन–पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता हैं।''

मैकाइवर और पेज

ने तो इसे समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था माना हैं। महिला समाज की आधारशिला हैं। बिना महिला के सहयोग से समाज उन्नति नहीं कर सकता हैं चाहे वो कोई भी क्षेत्र में कार्य हो महिलाओं का योगदान रहा हैं। पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं की जीवन शैली में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। जिनमें उनके व्यवहार, मूल्य संवेदनाओं तथा प्रेरणाशक्ति ही प्रभावित नहीं हुई हैं, बल्कि आज वे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में पुरूषों से कंधे से कंधा मिलाकर भागीदारी कर रही हैं। भारत में इन सामाजिक परिवर्तनों का असर शहरी शिक्षित महिलाओं पर और उनमें भी विशेष रूप से मध्यवर्गीय महिलाओं पर अधिक पड़ा है। शहरीकरण, शिक्षा और रोजगार, जोकि वस्तुतः इस सामाजिक बदलाव की देन हैं, ने उन्हें अपने व्यक्तित्व को निखारने तथा अधिकार जताने के नये आयाम दिखाये हैं। भारतीय शहरी महिलाएँ भी अपनी ग्रामीण बहनों, जो न सिर्फ घरेलू कामकाज की जिम्मेदारी का निर्वाह करती हैं, बल्कि पुरूषों के साथ खेतों में भी हाथ बंटाती है, की भाँति ही चारदीवारी से निकलकर आय संजित करने लगी है। इससे उनकी व्यक्तिगत आकांक्षाओं की भी पूर्ति होती है। कामकाजी महिलाओं पर हुये अध्ययनों में यह उल्लेख हुआ है कि ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्र की महिलाएँ घरेलू दायित्वों और अन्य दूसरे कामों में प्रबल रूप से लगी होती हैं। जिसमें से कुछ तो आर्थिक होती हैं और परिवार के लिए कुछ लाभदायक भी। यह दृष्टिगत हैं कि परिवार में पितृसत्तात्मक अधिपत्य को प्रत्युतर देना हैं तो महिलाओं की सौंदाकारी शक्ति को मजबूत करना होगा।

''डॉ० प्रमिला कपूर का मत है कि–''भारत का शिक्षित वर्ग विशेषतः युवा शिक्षित, महिला वर्ग देश में सामाजिक क्रांति परिवर्तन और चेतना लाने तथा लोगों के दृष्टिकोण विचारधारा और क्रियाकलाप बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता हैं यही वर्ग भारतीय नारी में जागृति ला सकता हैं और ला रहा है।''

इसके साथ ही महिलाओं की दशा सुधारने हेतु भारत सरकार द्वारा अन्य सराहनीय प्रयास भी किए गए हैं। जिसमें भारत सरकार द्वारा **1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग** की स्थापना तथा **1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग** की स्थापना प्रमुख रूप में हैं। भारत सरकार द्वारा **वर्ष 2001 में महिला सशक्तिकरण वर्ष** भी घोषित किया गया हैं। इसी के साथ भारत सरकार द्वारा महिलाओं के

हित एवं विकास के लिए समय–समय पर विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता रहा है। जिनमें **बालिका समृद्धि योजना, किशोरी शक्ति योजना, बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ योजना, स्वयं सिद्ध योजना, महिला समाख्या योजना** इत्यादि प्रमुख हैं।

शहरों के उच्च और मध्यम वर्गो की शिक्षित कामकाजी महिलाओं का उदयीमान समुदाय समाज का अपेक्षाकृत एक नया पहलू हैं। जिसकी ओर सामान्य और विद्वानों दोनों का ध्यान आकृष्ट हो रहा हैं। इस समुदाय का उदय अपने आप में उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों का एक संकेत हैं जो देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक कानूनी जीवन में घटित हो रहे हैं। आज का समाज अपेक्षाकृत तेजी से बदलता हुआ समाज हैं और यह परिवर्तन कई दिशाओं में हो रहा है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो भारत की स्वतंत्रता के बाद से होने वाले सबसे अधिक सारभूत व उल्लेखनीय परिवर्तनों में से एक हैं–**''नारी समाज की अपेक्षाकृत मुक्ति''** घर की चारदीवारी से निकलकर स्त्री का बाहरी दुनिया की हलचल में शामिल होना। कामकाजी स्त्रियाँ राष्ट्र के निर्माण में महत्व रखती हैं तथा राष्ट्र की आर्थिक प्रगति व विकास में भी स्त्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा, स्वतंत्रता, काम करने की आजादी और आत्मा निर्भरता ने स्त्री को एक नयी दिशा दी हैं। परम्परागत यातना और नयी परिकल्पना के धुंधलके में संघर्ष करती हुई स्त्री आज अपने नये स्वरूप को गढ़ने की कोशिश कर रही हैं। भारतीय स्त्री ने आजादी के रास्ते पर अपना पहला कदम बढ़ा दिया हैं।

आधुनिक सामाजिक परिदृश्य में स्त्री केवल पारम्परिक घरेलू भूमिकायें निभाने वाली स्त्री ही नहीं, बल्कि वह शिक्षित और कामकाजी बनकर एक आत्म–चेतना सम्पन्न स्त्री के रूप में पहचानी जा रही हैं। इस स्त्री रूपी शक्ति को स्वछन्द नहीं छोड़ना हैं, बल्कि अगर राष्ट्र की वास्तविक प्रगति करनी हैं तो नारियों का सम्मान करना चाहिए और उनका सही प्रयोग करना चाहिए, इसके लिए उन्हें पुरूषों के साथ बराबरी का दर्जा दिया जाये और यह बराबरी का दर्जा उनको कामकाजी होने के कारण मिलता जा रहा हैं। इस आधार पर **''स्त्रियों की शिक्षा और समाज में उनकी स्थिति समाज की प्रगति का असंदिग्ध सूचक हैं।'' (मारल्स इन इवोल्यूशन)।**

किसी भी समाज में स्त्रियों की जो स्थिति हैं उससे उस समाज के विकास को सही–सही नापा जा सकता हैं। भारत में विशेष कर आज के शहरी समाज में शिक्षित स्त्रियों के लिए नौकरी का घरों से बाहर निकल कर काम करने की घटना कोई नयी बात नहीं हैं, क्योंकि गांवों में स्त्रियों को हमेशा से ही जीविका के लिए अपने पुरूष वर्ग के साथ खेतों में काम करती आ रही हैं। शहरों में भी लम्बे समय से स्त्रियाँ फैक्ट्री तथा गृह निर्माण कार्यों में मजदूरी करती आ रही हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से समाज के सबसे पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ भी बहुत लम्बे समय से फैक्ट्रियों में, घरेलू नौकरानियों के रूप में पुरूषों के साथ खेतों में तथा अकुशल मजदूरों के रूप में काम करती आ रही हैं। यद्यपि ग्रामीण अंचलों की कामकाजी नौकरी पेशा श्रमजीवी महिलाओं की स्थिति शहरी कामकाजी युवतियों से भिन्न हैं। गाँव में नौकरी तथा मजदूरी में विवाहितों, विधवाओं और अविवाहिताओं सभी की आवश्यकता हैं।

भारत में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्त्रियाँ भले ही पुरूषों के साथ खेतों में काम करती आ रही हैं या फैक्ट्रियों में कार्यरत हो, पर जो तथ्य अपेक्षाकृत नया हैं, वो हैं–मध्य वर्गो की तथा उच्च वर्गो की स्त्रियों का घरों से बाहर आर्थिक दृष्टि से तथा अपनी संतुष्टि के लिए लाभप्रद नौकरियाँ करने का चलन। सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से यह बात बहुत महत्व रखती है कि मध्य वर्ग की शिक्षित घरों से बाहर लाभप्रद नौकरियाँ करने लगी हैं।

परम्परागत भारतीय समाज में मध्य और उच्च वर्ग की स्त्रियों का घरों से बाहर नौकरी करना सम्मानजनक नहीं समझा जाता था। आर्थिक आवश्यकता व कठिनाइयों में ही इन वर्गों की स्त्रियों ने घर से बाहर निकलकर नौकरी करनी शुरू की, पर आज की बदलती हुई

सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में दिये गये सम्मान का विचार अर्थहीन हो गया हैं। इस आधार पर आज स्त्रियों द्वारा नौकरी करना सम्मानजनक माना जाता है न कि अपमानजनक। उच्च शिक्षित महिलाओं में भी अपने कैरियर के प्रति पुरूषों के समान महत्वाकांक्षा जगी हैं। वे जीवन यापन के विकास के लिए नये–नये सोपानों को तलाश कर रही है। करियर के क्षेत्र में ऊँचाई तक पहुँचने के लिए महिलायें जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। उनकी उच्च शिक्षा व करियर का विकास देश और समाज के विकास के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हैं।

आज भारतीय स्त्री–पुरूष के समान घर से बाहर विभिन्न कार्य क्षेत्रों में प्रवेश कर अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना रही हैं। उसने उन सभी कार्य क्षेत्रों में प्रवेश पा लिया हैं जो कभी उसके लिए वर्जित समझे जाते थे, जिन पर पुरूषों का पूरा अधिकार था। अब महिलायें केवल शिक्षिकायें, डॉक्टर या नर्स ही नहीं है, बल्कि वे तकनीकी विशेषज्ञ, वकील, इंजीनियर, वैज्ञानिक, पत्रकार, उद्यमी, पायलेट, सेना अधिकारी तथा पुलिस अधिकारी की भूमिकाओं में भी अपनी पहचान बना रही हैं। इलैक्ट्रॉनिक और कम्प्यूटर की दुनिया में भी अपनी शक्ति को पहचान रही हैं। राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में उच्च पदों पर आसीन हैं। व्यवसाय में लगी महिलाओं ने व्यवसाय की हर चुनौती को सहर्ष स्वीकार किया हैं। इन सभी महिलाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि महिलाओं को नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में समान अवसर मिले तो वे भी अपने उत्तरदायित्वपूर्ण पदों और व्यवसाय का कार्य कुशलतापूर्वक चला सकती हैं।

आज की कामकाजी स्त्रियाँ सामाजिक, राजनैतिक व्यवसाय में आंतरिक संगति ला रही हैं। अपने समय और परिवेश को अपनी अनुकूलता में अभिव्यक्त कर रही हैं। इस संदर्भ में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि हर क्षेत्र में उन्नति पूर्ण कदम रखने से पहले कामकाजी स्त्रियाँ इंच दर इंच सफलता के सोपानों पर विराजमान हुयी है। उनकी सफलता एक दिन की सफलता नहीं हैं, बल्कि अनेक रूढ़ियों, जर्जर परम्पराओं, झूठी यथार्थता को नकारते हुए सफलता के सिंहासन पर विराजमान हुई हैं। धीरे–धीरे पर लगातार कामकाजी स्त्रियों की बढ़ती हुई संख्या यह प्रमाणित करती हैं कि यदि स्त्रियों को अवसर दिया जायें और वे पूर्ण निश्चय कर लें, तो स्त्रियाँ कठिन से कठिन प्रतियोगिताओं में पुरूषों की बराबरी ही नहीं, बल्कि उन्हें पराजित भी कर सकती है। स्त्रियों ने केवल परीक्षा में ही बाजी नहीं मारी हैं, बल्कि वे उच्च और प्रशासकीय पदों पर कुशल और निष्पक्ष प्रमाणित हुई हैं तथा उनकी ईमानदारी तथा चारित्रिक निष्ठा का भी लोहा माना गया है।

आज कामकाजी स्त्रियाँ विभिन्न संस्थाओं तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्मिक कल्याण तथा जनसम्पर्क अधिकारियों के रूप में बड़ी संख्या में प्रवेश कर रही हैं। वे उच्च पदों पर सफलतापूर्वक काम कर रही है तथा जन सेवाओं में अधिक से अधिक स्त्रियाँ आ रही है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि आज भारत में कम्प्यूटर प्रोग्रामर के रूप में अनेक प्रशिक्षित स्त्रियाँ काम कर रही है तथा उन्हें ऊँचे वेतन और अतिरिक्त सुख–सुविधायें भी मिल रही हैं।

दिल्ली, मुम्बई तथा मद्रास जैसे महानगरों में महिला वकीलों की संख्या बढ़ती जा रही है। कानून जैसे असाधारण व्यवसाय में स्त्रियों की कितनी अच्छी पकड़ है। इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से समाचार पत्रों में महिला वकीलों की सफलता की खबरों से स्पष्ट हो जाता है। प्रारम्भ में यह व्यवसाय केवल पुरूष तक ही सुरक्षित थे पर अब ऐसा नहीं है। शायद इस तरह की परिस्थितियाँ पहले भी नहीं थीं, क्योंकि **'कैटी रूस्तम जी भंडूसा', 'श्रीमति नीलोफर भागवत तथा 'श्रीमति रजनी महाजन'** जैसे अनेक नाम हैं, जिन्होंने कानून जैसे असाधारण व्यवसाय में भी उच्च कार्य किये हैं। प्राचीन काल में जब स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता हैं तब इतनी बड़ी उपलब्धियाँ प्राप्त करना अपने आप में तथा भारत जैसे रूढ़िवादी देश के लिए बड़े गौरव की बात थी और निःसन्देह यह गौरव आज भी कायम है या फिर यह कहें कि अपनी चरम सीमा पर हैं।

आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होने तथा अपनी वैयक्तिक प्रतिष्ठा स्थापित करने के उद्देश्य से नौकरी करने वाली महिलाओं की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। कामकाजी होने के कारण आत्मविश्वासी महिलाओं में ऐसी भावना या इच्छा बढ़ती जा रही है कि विवाह के बाद भी वे कामकाज में लगी रहे, भले ही उनका विवाह ऐसे पुरूष के साथ हो, जो स्वयं अपनी कमाई पर उनका जीवन पर्यन्त निर्वाह कर सकते हो। शहरो में शिक्षित, प्रशिक्षित स्त्रियों की नई पीढ़ी जो हर क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिन्हें आर्थिक स्वायत्तता प्राप्त हैं। इन्हीं आर्थिक स्वायत्ता से उनके विचार व्यवहार और जीवन दृष्टि में परिवर्तन आ गया है। ये स्त्रियाँ प्रबुद्ध, विचारशील, गंभीर, कर्त्तव्यनिष्ठा और समय सचेत है। परम्परा और पुरातनता को लेकर इनके पास कमजोर लाचार भावुकता नहीं है, बल्कि पूर्ण और संतुलित जीवनदृष्टि अवश्य है।

दफ्तरों और दुकानों में स्त्रियों के काम करने के विरुद्ध जो पुराने पूर्वाग्रह थे, वे अब धीरे–धीरे समाप्त हो रहे हैं। अब लोग अपनी स्त्रियों को चाहे वो पुत्री हो, बहन हो या पत्नी हो, उनका क्लर्को या अन्य पदों पर काम करने को बुरा नहीं मानते हैं जैसा कि पहले मानते थे। मध्य और उच्च वर्ग की अविवाहित और विवाहित सरकारी और निजी क्षेत्रों में दफ्तर की सभी प्रकार की नौकरियों में प्रवेश कर रही है। विभिन्न सामाजिक श्रेणियों की लड़कियाँ और स्त्रियों क्लर्कों, स्टेनोग्राफरों, निजी सहायको, सेक्रेटरियों और रिसप्शनिस्टों तथा उच्च सरकारी अफसरों मैंनेजरों, और एक्जीक्यूटिवों, कम्प्यूटर प्रोग्रामरों के रूप में काम कर रही हैं। विश्वविद्यालयों से प्राप्त डिग्री का सही उपयोग करने में आज महिलायें तत्पर हैं। यही कारण है कि डिग्री प्राप्त महिलायें कॉलेजों में प्राध्यापिका, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षिका के पद पर कार्य कर रही है। साथ ही डॉक्टर, वकील, वास्तुकार तथा पत्रकार के रूप में भी बहुत सी महिलायें कार्यान्वित हैं, तो वही दूसरी ओर बहुत सी महिलायें सरकारी दफ्तरों निजी तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में क्लर्क का भी काम कर रही हैं। आई०ए०एस० तथा आई०एस०एफ० जैसे महत्वपूर्ण विभागों में भी नियुक्त होने वाली महिलाओं की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अधिकतर जहाँ तक वेतन अधिकारों तथा पदोन्नति के अवसरों की बात हैं वहाँ सिद्धान्त रूप में ही सही स्त्रियों और पुरूषों में कोई अन्तर नहीं रह गया है। यहाँ तक कि कुछ कामकाजी महिलायें **'उप सचिव तथा संयुक्त सचिव जैसे** उच्च प्रशासकीय पदों पर भी काम पर रही हैं। भले ही इन पदों पर काम करने वाली महिलाओं की गिनती कम हो पर हो दिन दूर नहीं जब महिलायें भी गिनती में पुरूषों के बराबर होगी।

बदलते समय की मांग के आधार पर पुरूष वर्ग और समाज की मनोवृत्ति में भी काफी परिवर्तन हो गये हैं। प्रारम्भ में पुरूष द्वारा अपनी स्त्री को चाहे वो पुत्री हो, बहन हो या पत्नी हो, घर के बाहर काम करने के लिए भेजना उसकी शान के खिलाफ समझा जाता था, पर वर्तमान में आर्थिक आवश्यकता व्यक्तिगत आवश्यकता तथा आत्मिक संतोष जैसे अनेक कारण हैं, जिनके आधार पर अब स्त्रियाँ भी कामकाजी हो रही हैं। धीरे–धीरे यह बदलती हुई वर्ष 1992 में पारित 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण देकर उसको और मजबूत व सुदृढ़ बनाने से गाँव व समाज को नयी दिशा दे रही हैं। वे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है तथा अपनी पहचान बना रही है। वे समाज कल्याण के लिए नये–नये रास्ते खोज रही हैं। कामकाजी महिलाओं की उपलब्धि की एक और मिसाल दक्षिण भारत के तमिलनाडू राज्य के मदुरई जिले में भी देखने को मिलती हैं, जहाँ पर अनेक ऐसे गाँव है जहाँ की सरपंच महिलायें हैं। वे पूरी तरह स्वतंत्र निर्णय लेती हैं। पुरूषों के मुकाबले वे अधिक बेहतर ढंग से काम कर रही हैं। गाँव व देश को भलाई और पंचायती राज से जुड़े सभी कार्यक्रमों और योजनाओं को वे सफलतापूर्वक चला रही हैं। धीरे–धीरे लगातार बदलती हुई मनोवृत्ति में गाँव के अतिरिक्त शिक्षित कामकाजी स्त्रियों को जिनमें दफ्तरों में काम करने वाली स्त्रियाँ भी सम्मिलित हैं, समाज न केवल उनको अब पहले की अपेक्षा अधिकाधिक सहज और स्वीकार कर रहा हैं, बल्कि अब उन्हें आदर भी दे रहा है, जो अभूतपूर्व हैं।

आजाद भारत में कामकाजी स्त्रियों ने अपने लिए गौरवशाली अतीत और वर्तमान को रचा। जिसके अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम अध्यक्ष **'विजय लक्ष्मी पंडित'**, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री **'सुचेता कृपलानी'** प्रथम एवरेस्ट विजेता **'बछेन्द्री पाल'**,

स्वर कोकिला **'लता मंगेश्कर'**, प्रसिद्ध लेखिका **'अमृता प्रीतम'**, **'पी०टी० ऊषा'**, **'किरन बेदी'**, **कल्पना चावला'**, इत्यादि जैसे अनेकों नाम हैं, जो कामकाजी स्त्रियों के नाम को रोशन में सहायक हो रहे हैं।

अध्ययन की समस्या

वर्तमान स्थिति में संयुक्त परिवार अपना अस्तित्व कहाँ टिक पा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। औद्योगिकरण ने जहाँ पर एक ओर तो देश को पर्याप्त सुख सुविधायें दी हैं। तो वही दूसरी और नगरीकरण का क्षेत्र बढ़ा दिया है। जिसके कारण संयुक्त परिवार टूटने की कगार से काफी आगे बढ़ गये हैं। महंगाई के बढ़ते दौर में जब स्त्रियाँ भी पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कामकाजी की कलगी लगाये घूम रही हैं तो संयुक्तम परिवार के भविष्य पर एक प्रश्नचिन्ह सा लग गया हैं। जिसके कारण यह समस्या भी उभरकर सामने आयी है कि कुछ कामकाजी महिलायें संयुक्त परिवार में क्यों रहना चाहती हैं? सामाजिक प्रतिष्ठा बनाये रखने के आधार पर आपसी प्रेम सौहार्द बनाये रखने के आधार पर बच्चों के उचित संरक्षण व पालन–पोषण की सुविधा के आधार पर या पारिवारिक दबाव के आधार पर संयुक्त परिवार में रहना चाहती हैं। इसके विपरीत पैतृक सम्पत्ति का मोह भी संयुक्त परिवार में रहने को विवश करता है।

वहीं दूसरी ओर कुछ कामकाजी महिलायें संयुक्त परिवार में क्यों नहीं रहना चाहती हैं? महंगाई के आधार पर, एकांकी परिवार के बढ़ते प्रचलन के कारण, बुजुर्गों की टोका–टाकी व उनके बढ़ते अंधविश्वास के आधार पर या स्वतंत्रता में बाधा के आधार पर संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती हैं। अंततः कारण चाहे कुछ भी हो पर परिणाम दोनों पक्षों के पक्ष में है। कुछ कामकाजी महिलायें संयुक्त परिवार में रहना चाहती हैं, तो कुछ महिलायें संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती हैं। इसलिए इस समस्या को सम्बन्धित अध्ययन में प्रस्तुत करके उसके समाधान का प्रयास किया गया है।

शिक्षा, शिक्षा का उपयोग, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, निजी रूचि की स्वतन्त्रता, काम करने की स्वतन्त्रता आदि तथा निर्णय लेने की शक्ति महिलाओं की स्थिति के प्रमुख सूचक है। कामकाजी महिलाओं की संख्या का निरन्तर बढ़ना, विवाह के बाद भी उनका इसलिए नौकरी करना, क्योंकि वे आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होना चाहती हैं, वे अपनी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहती हैं। इन सबसे पूर्ण रूप से स्पष्ट है होता है कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार आया है। इसी सुधार आने के कारण महिलाओं के कामकाजी होने के कारण उन्हें संयुक्त परिवार की आवश्यकता होती है। एकल परिवार में अगर पति–पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं तो घर और बच्चों की देखभाल करने में परेशानी होती हैं वे अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। अगर बच्चे छोटे हैं तो वे मोबाइल या टी०वी० देखने के आदि हो जाते हैं। पढ़ाई से उनकी दूरी बनती चली जाती हैं अगर बच्चे बड़े हैं तो उनका गलत संगति में रहने का खतरा बना रहता है। इसलिए कुछ कामकाजी महिलाएँ संयुक्त परिवार में रहना चाहती हैं। ताकि बच्चों को अच्छे संस्कार मिल सकें और उन पर परिवार के बड़ों का दबाव बना रहें।

अवधारणाओं का विश्लेषण

''सामान्य उपयोग में यह शब्द मुख्य रूप से विचार या धारणा को दर्शाता है इसे एक अमूर्त या मनोवैज्ञानिक चीज के रूप में परिकल्पित किया जाता हैं, जिसमें चेतन मन की पूर्वधारण होती हैं, जिसमें कम से कम संभावित रूप से अवधारणा होती है।''

सम्पूर्ण समाज की प्रगति का इतिहास कुछ वर्षों का इतिहास नहीं हैं। भारतीय स्त्रियों ने जो प्रगति की हैं वह विकसित राष्ट्रों की स्त्रियों की प्रगति के मुकाबले बहुत धीमी कही जायेगी पर इसके बाद भी तीसरे विश्व के देशों में भारतीय स्त्रियों की स्थिति लज्जाजनक भी

नहीं हैं। इसका कारण यह है कि हमारे राष्ट्र नायकों ने स्त्रियों स्वतंत्रता और प्रगति को समाज के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक माना है। **''राष्ट्रपिता महात्मा गांधी''** स्त्रियों के संदर्भ में अपने विचार और व्यवहार में एक थे। स्वाधीनता आन्दोलन में अनेक महत्वपूर्ण कार्यो को उन्होंने महिलाओं को ही दिया था। **'सुभाष चन्द्र बोस', 'सरदार वल्लभ भाई पटेल', 'जवाहर लाल नेहरू'** जैसे नेताओं ने भी स्त्री की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। देश के महान समाज सुधारक **'राजा राम मोहन राय'** ने स्त्री विरोधी कुरीतियों के विरुद्ध अभियान चलाया, जिसके कारण स्त्री के हित में बनने वाले अनेक कानूनों की पृष्ठभूमि तैयार हुई। बीसवीं शताब्दी में प्रगति और विकास की धारा में स्त्री के प्रति नयी चेतना विकसित है। भारत में स्त्रियों की स्वतंत्रता की अवधारणा स्वाधीनता आन्दोलन के साथ जुड़ी है। स्त्रियाँ स्व की संकीर्णताओं को तोड़कर एक नयी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध हुई हैं।

आवश्यकता परिवर्तन की जननी है। समस्त परिवारों में भौतिकवादी युग में सत्ता व सुख–सुविधा भोगी समाज में धन का महत्व बढ़ रहा है। अब परिवार की आय बढ़ाने वाली विवेकशील कामकाजी महिला बाहर का भी कार्य संभालने लगी है। बाहर का कार्य संभालने के कारण कामकाजी महिलायें अधिक आत्मविश्वासी हो गयी है। परिवार व स्वयं की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए अब महिलायें स्वयं कामकाजी होना चाहती है। जैसे–जैसे महिलायें शिक्षित हो रही है तथा घर के बाहर निकलकर स्वावलम्बी हो रही है, उनके सोच समझने तथा विश्लेषण की क्षमता में और विवेक आ रहा है। परिवार और समाज का उनके प्रति दृष्टिकोण कुछ–कुछ बदल रहा है। वर्तमान परिदृश्य में नारी जीवन के नये–नये सोपानों पर चढ़ती हुई दिखायी दे रही है। वह निरीह, अबला, असहाय और प्रताड़ित नारी की पुरानी छवि को तोड़कर पुरूष के साथ जीवन के हर स्तर पर विकास कार्यों से अपने को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। जीवन के अनेक क्षेत्रों में उसने अपनी विशिष्ट पहचान बनायी है। अपने लिये नये रास्ते तलाशने की कोशिश में वह कहीं सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं तो कही राजनैतिक दासता से मुक्ति के संदर्भ में अपनी आवाज ऊँची कर रही हैं तो कहीं आर्थिक कमी से मुक्ति पाने के लिए पुराने पारम्परिक ढांचे को तोड़कर नये स्वरूप में अपने आपको गढ़ रही हैं। वह नारी को **''काम की वस्तु''** समझने वाले तथा कथित नैतिक व अनैतिक मूल्यों से मुक्ति की मांग भी उठा रही हैं। नारी मुक्ति के बाद अब वे सशक्तिकरण के नारे का वास्तविक अर्थ समझ कर उसे व्यवहारिकता में ढालने की भी कोशिश कर रही हैं। समस्त शहरी नारियाँ भले ही पूर्ण रूप से स्वावलम्बी न बन पायी हो, शिक्षित नहीं हो पायी हो, सशक्त न हो पायी हो, लेकिन अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति उनमें चेतना अवश्य जगी हैं। वे समय के बदलाव को देख और समझ रही है। यही कारण है कि कामकाजी होने से परिवार में महिलाओं का स्तर सुधार गया हैं। पारिवारिक वार्तालाप व निर्णयों में भी उनके विचार विमर्श सुने जाते हैं तथा अपनी आय के सम्बन्ध में भी उन्हें कुछ विशेषाधिकार मिल गये हैं।

आज भी पुरूष हर काम में महिलाओं पर ही आश्रित हैं। विवाहित कामकाजी महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता फिर बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजना, पति के लिए टिफिन तैयार करके फिर खुद कार्यालय जाना होता हैं। कार्यालय में भी उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं जैसे–असमान वेतन, पदोन्नति में भेदभाव, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, सहयोगियों द्वारा छींटाकशी का शिकार आदि। पुरूष की अहमवादी सोच कभी यह नहीं चाहती है कि महिला मुझसे ऊँचे पद पर रहे, अगर महिला बॉस है तो उसके नीचे काम करने वाले पुरूष कर्मचारी उसके पक्ष में कम ही रहते हैं। उसके बारे में तरह–तरह की वार्ता करते हैं। उसके बारे में खुद की एक सोच बना लेते हैं और उसी प्रकार दूसरी महिलाओं को भी वह उसी चश्में की नजर से देखते हैं।

भारतीय समाज में पुरूष वर्चस्व की जड़ें इतनी गहरी जमी हुई है। कि अपने पितृसत्तात्मक अपने अगल–बगल, दायें–बाएँ, गली–नुक्कड़ जहाँ भी नजर घुमाये आपको हर औरत में इस समाज में मिले अवांछित दबाव की अलग–अलग किस्में नजर आयेगी, एक

औसत पति अपनी पति को बराबर की जगह पर नहीं देखना चाहता हैं। वह अगर एक सीढ़ी भी ऊपर दिखती हैं तो उनमें ईर्ष्या के डंक भर जाता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभी भी स्त्रियों को अपने शोषण, अत्याचार, अन्याय और असमानता के विरुद्ध एक लम्बी लड़ाई से जूझना है। उनके संघर्षों का, संकल्पों का उपलब्धियों का प्रवाह तो चलता ही रहेगा। यही भारतीय समाज की विशेषता है कि यह प्रवाहमान है, स्थिर नहीं है, लेकिन भारतीय स्त्रियों की संघर्ष गाथा में यदि उनकी प्रगति और उनके उत्थान की चर्चा न की जाये तो भारतीय लोतंत्र की उपलब्धियों का विवरण अधूरा माना जायेगा। निःसंदेह कामकाजी महिलाओं ने किसी भी मुसीबत का बहादुरी से तथा विश्वासपूर्वक सामना करना सीख लिया है तथा घर से बाहर के कामकाज को निपटाने में उन्होंने प्रवीणता प्राप्त कर ली हैं। नौकरी की वजह से वे अपनी आर्थिक स्वतंत्रता से अधिक संतुष्ट है तथा अपने अधिकारों, विशेषाधिकारों तथा आत्म सम्मान के प्रति अधिक सजग है। परिवार के लिए अपनी महत्ता परिवार में अपने अंतःवैयक्तिक सम्बन्धों व स्वयं अपने तथा अपने पति और परिवार के दूसरे सदस्यों के उत्तरदायित्वों व कर्त्तव्यों के प्रति उनके दृष्टिकोण में बहुत परिवर्तन हो गये हैं। आज समाज में कामकाजी महिलाओं की सक्रिय भूमिका है। नारियाँ अपनी अनेक भूमिकाओं के बीच सामजस्य बैठाने की कोशिश में कई बार तनावग्रस्त होती हैं, परन्तु अपनी आस्था की लौ की धीमा नहीं पड़ने दे रही है। वह स्थितियों से जूझते हुए आगे बढ़ रही हैं।

उपसंहार

कामकाजी महिलाओं की स्थिति के बारे में पूर्ण से कहा जा सकता हैं कि कामकाजी महिलाओं द्वारा हर प्रकार की नौकरियाँ करने तथा आर्थिक रूप से निर्भर होने के कारण वह पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वासी हो गयी है। अपनी आर्थिक आवश्यकता व रूचि को कैरियर बनाकर उनकी प्रतिष्ठा को तथा कार्य क्षमता को पूर्ण लाभ मिलने के कारण वह अधिक आत्म विश्वासी हो गयी हैं, क्योंकि किसी भी मुसीबत का सामना करने में उन्होंने प्रवीणता हासिल कर ली है। इसी कारण से घर तथा बाहर दोनों के उत्तरदायित्वों का पालन वो पूरी लगन व ईमानदारी से करती हैं। बाधाये आने पर भी वो उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का भरकस प्रयास करता हैं। इन्हीं कारणों से परिवार में उनका स्तर सुधर गया है। अबला नारी का स्थान नम्र लेकिन **'अबला नारी'** ने ले लिया हैं। पारिवारिक निर्णयों में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाने वाली हैं। स्त्रियाँ पहले भी महान थीं पर कामकाजी होने के कारण उनके सम्मान में एक और कलगी जुड़ गयी है। प्रगति की चमक लिये उनके रचनात्मक शक्ति अपने लिये सही ढांचा तलाश रही हैं और निश्चय ही आने वाले समय में उनका प्रगति पथ और प्रशस्त होगा।

संदभ सूची

1. आशारानी व्हा ेरा, भारतीय नारी, दषा आ ेर दिषा
2. . डॉ. वल्लभदास तिवारी, हिन्दी काव्य में नारी
3. डॉ. शीला रजवार, स्वतांत्र्या ेत्तर हिन्दी कथा साहित्य में नारी मुक्ति की अवधारणा
4. ह ंस पत्रिका, अक्टूबर, 2002ण
5. डॉ. के. एम. मालती, स्त्री विमर्षः भारतीय परिप्रेक्ष्य,
6. डॉ. मुदिता चंद्रा, आधुनिक एव ं हिन्दी कथासाहित्य में नारी का बदलता स्वरूप